न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल ,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2021

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
1. चन्दनदेवी पत्नि रेवाराम जाति पूरोहित निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर	1. नारायणसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपूत निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 22.12.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा में प्रार्थीया की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1016 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1017 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नबंर 1019 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नबंर 1020 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नबंर 2361/1018 रकबा 1.63 हैक्टर जुमले रकबा 1.84 की आई हुई है। जिसकी प्रार्थीया रेकर्डेड मालिक है। प्रार्थीया की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1016, 1017, 1019, 1020 व 2361/1018 के दक्षिण पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1018 रकबा 2.56 हैक्टर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। प्रार्थीया की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1016, 1017, 1019, 1020 व 2361/1018 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1018 के बीच की माठ को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबरदस्ती कानुन को हाथ में लेकर नष्ट कर दिया है, जिससे मौके पर प्रार्थीया की आराजी की व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी की माठ अस्पष्ट होने पर प्रार्थीया की ओर से श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा से पैमाईश हेतु आदेश जारी करवाया तथा श्रीमान तहसीलदार के आदेश क्रमांक 18 दिनांक 21.6.2021 की पालना में हल्का पटवारी रानीवाडा खुर्द सीमांकन करने लगे तथा दक्षिण पश्चिम माठ पर निशान करने लगे तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सीमांकन निशान स्वीकार नहीं किये गये तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्रों द्वारा वाद विवाद करने पर हल्का पटवारी पटवार हल्का रानीवाडा खुर्द द्वारा सीमांकन करना स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार मौके पर सीमा विवाद होने की स्थिति में सीमांकन नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी की पैमाईश करवा कर उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1016 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1017 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नबंर 1019 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नबंर 1020 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नबंर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.12.31 14:50:37 IST
Reason: SelfAttested

2361/1018 रकबा 1.63 हैक्टर जुमले रकबा 1.84 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1018 रकबा 2.56 हैक्टर की पैमाईश करवा कर प्रार्थीया की आराजी प्रार्थीया की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1016, 1017, 1019, 1020 व 2361/1018 के बीच की माठ कायम कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरा गड्ढी कायम करने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बाद तामिल नोटिस उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस की गई।
3. प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा की बहस सूनी गई। बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य सीमा विवाद होने से पत्थर गड्ढी करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से बहस में बताया कि दिनांक 24.06.2021 को मौजा रानीवाड खुर्द के खसरा नम्बर 1016, 1017, 1019, 1020 रकबा 1.84 हेक्टेयर की पैमाईश करने पर पडौसी खातेदार नारायणसिंह द्वारा निशान बताने पर स्वीकार नहीं किये तथा वाद विवाद करने से पैमाईश स्थिगित की गई।
4. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने व अप्रार्थी राजपेरोकार के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 24.06.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकर किया है। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के मौके पर खसरा नम्बर 1016, 1017, 1019,1020 व 1018 के मध्य माठ वाद ग्रस्त होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा रानीवाडा खुर्द पटवार मण्डल रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 1016, 1017, 1019, 1020 व 1018 रकबा क्रमश 0.01, 0.07, 0.02, 0.11, 2.56 हैक्टेयर की आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.12.31 14:50:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर